संख्या : 2298/इक्कीस–3(31)–79

प्रेषक,

श्री आदित्य कुमार रस्तोगी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

भाषा अनुभाग–1 लखनऊ, दिनांक 10 अक्तूबर, 1979

विषय :– बैनरों, पोस्टरों तथा साइन बोर्डों आदि में शुद्ध हिन्दी का प्रयोग।

महोदय,

शासन की जानकारी में यह बात लायी गयी है कि कहीं–कहीं सरकारी विभागों द्वारा लगाये गये बैनरों, पोस्टरों, साइन बोर्डों तथा सूचना पट्टों आदि में अशुद्ध हिन्दी का प्रयाग किया गया है। इससे जनता में यह भावना उत्पन्न होती हैं कि शासन द्वारा राजभाषा के प्रति लापरवाही बरती जा रही है। मुझे यह निवेदन करना हौ कि आप अपने जिले में सरकारी विभागों द्वारा लगाये गये साइन बोर्डों, सूचना पट्टों आदि के बारे में कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि वें सभी शुद्ध हिन्दी में लिखे गये हैं, और यदि किसी बैनर, पोस्टर, सूचना पट्ट या साइन बोर्ड में भाषा की अशुद्धता आपके नोटिस में आये तो उसे कृपया शुद्ध कराने की कृपा करें।

भवदीय,

आदित्य कुमार रस्तोगी,
विशेष सचिव